'जिन्होंने आलाकमान को ललकारा,वह बैकफुट पर हैं'

'विधानसभा से त्यागपत्र देना उनकी भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें'

- दिव्या मदेरणा ने फिर साधा इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायकों पर निशाना।
- इस्तीफा प्रकरण पर विधानसभा अध्यक्ष की चुप्पी, लेकिन जोशी से मिलकर आए भाजपा नेताओं ने कहा, विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं नियम देखकर ऐसा निर्णय करूंगा, जिसकी नज़ीर संसदीय इतिहास में दी जाएगी।
- सारे प्रकरण के बीच पायलट ने अपनी आर्मी यूनिट, दिल्ली कैंट स्थित सिख रैजिमैंट की यूनिट में ड्यूटी दी।

जयपुर, 18 अक्टूबर (का.प्र.)। राजस्थान कांग्रेस के भीतर पायलट और गहलोत गुट के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। गहलोत ने जहा खुद मोर्चा संभाल रखा है, तो पायलट खुद चुप्पी साधे हुए हैं। इधर कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने भाजपा नेताओं के बयान का हवाला देकर समानांतर बैठक करने वाले नेताओं पर फिर निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने आलाकमान को ललकारा वो बैकफुट पर है।

इस बीच सचिन पायलट सियासी विवाद से अलग दिल्ली में आर्मी कैंट में नजर आए। मंगलवार को अपनी आर्मी ड्यूटी के लिए पहुंचे पायलट ने कैप्टन की यूनिफॉर्म में फोटो ट्विटर पर शेयर किए। इन्हें काफी पसंद किया जा रहा है।

पायलट ने दिल्ली कैंट में सिख रेजिमेंट की यूनिट में पहुंचकर कुछ समय ड्यूटी दी। पायलट ने रेजिमेंट के अफसरों और जवानों से मुलाकात की और कामकाज के बारे में चर्चा की। पायलट को 124 सिख रेजिमेंट अलॉट है। पायलट दिल्ली दौरे के समय साल में कई बार अपनी यूनिट में जाते हैं और बैठकों में शामिल होते हैं। आज भी इसी सिलसिले में पायलट अपनी यूनिट गए थे। सचिन पायलट ने सिंतबर 2012 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए टेरिटोरियल आर्मी में बतौर लेफ्टिनेंट जॉइन किया था। पिछले साल दिसंबर में ही पायलट को कैप्टन के पद पर प्रमोशन मिला था।

इधर एक बार फिर समानान्तर विधायक दल की बैठक बुलाने और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफे देने तथा इस मुद्दे पर डॉ. सी.पी. जोशी से मिलने के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का हवाला देते हुए कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने फिर निशाना साधा है। दिव्या ने कहा कि "मेरी बात को दोहराते हुए कि जिन्होंने आलाकमान को ललकारा, वह आज बैकफुट पर हैं। त्यागपत्र देना भारी गलती थी, इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे।" इसी का साथ दिव्या ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि " इतिहास गवाह है आलाकमान से जो टकराएगा, चूर-चूर हो जायेगा! अपने हित के लिए पार्टी बदलना अवसरवाद की श्रेणी में आता है तो अपने हित के लिए इस्तीफ़ा नौटंकी और दबाव की राजनीति करना भी अवसरवाद की श्रेणी में ही आता है।"

हालांकि इस्तीफा प्रकरण पर स्पीकर जोशी अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं लेकिन उनसे मिल कर आए भाजपा नेताओं ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं नियमों के अनुसार ऐसा करूंगा, जिसकी नजीर संसदीय इतिहास में दी जाएगी।

सचिन पायलट मंगलवार को अपनी आर्मी ड्यूटी के लिए दिल्ली कैंट की सिख रेजिमैंट की यूनिट में पहुंचे। जहां उन्होंने कुछ समय ड्यूटी दी और रेजिमैंट के अफसरों और जवानों से मुलाकात की।

डार्क वैब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी इसकी आदी है। पिछले एक साल में ही करीब 30,000 करोड़ रू. की कीमत की ड्रग्स जब्त की गईं, जबकि यह जब्ती तो ड्रग के विशाल व्यवसाय का एक कण मात्र ही है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि कोरियर तथा डाक सेवाओं से की गई रिकवरी 3 गुना बढ़ गई है।

सी.ए.जी. के अनुसार, 70 प्रतिशत ड्रग भारत में समुद्री रास्तों से प्रवेश करती हैं। गश्ती दलों की रिपोर्ट मोह भंग करने वाली है।

'जयललिता की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनके डॉक्टर के.एस. शिवाकुमार, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सी. विजय भास्कर तथा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव जे. राधाकृष्णन की भूमिका दोषपूर्ण पाई है। प्रसंगवश बता दें कि मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने से कुछ घंटे पहले ही, शशिकला जेल भेज दी गई थीं क्योंकि वे आय से अधिक सम्पत्ति के मामले में दोषी पाई गई थीं तथा उन्हें 2017 में चार वर्ष की जेल हो गई थी। उसके बाद शशिकला से सब कुछ छिन गया। उन्हें पार्टी से निष्काषित कर दिया गया था तथा पार्टी में पुन: प्रवेश के उनके सारे प्रयास असफल रहे।

अब, जाँच आयोग की रिपोर्ट आज विधानसभा के पटल पर रखे जाते ही अन्नाद्रमुक विचित्र किन्तु उत्तेजनापूर्ण स्थिति में आ गई, क्योंकि अन्नाद्रमुक के पूर्व नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री ओ. पन्नीरसेल्वम ने भी ऐसे पर्याप्त संकेत दिये थे कि पार्टी में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं हैं तथा जयललिता के इलाज तथा उन्हें मृत्यु तक पहुँचाने वाली परिस्थितियों से संबंधित मुद्दे तो हैं ही। लेकिन पार्टी में उनके विरोधी तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री इडापड्डी पलानी स्वामी के साथ तालमेल के बाद, उन्होंने अपने स्वर बदल लिये। जयललिता को 22 सितम्बर 2016 को चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था और हृदय की गति अचानक रूक जाने के एक दिन बाद 5 दिसम्बर को उनकी मौत हो गई थी। ऐम्स, यू.के. और यू.एस.ए. के विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका उपचार किया था।

अरूमुगम आयोग ने तत्कालीन मुख्य सचिव राम मोहन राव की भी "आपराधिकता" पायी थी, जिन्होंने प्रक्रियात्मक पहलुओं को लेकर विभिन्न तिथियों में 21 फार्मों पर अपने हस्ताक्षर किए थे। आयोग ने कहा कि "वास्तव में यह मानवीय त्रुटि है और वह उसका परिणाम भुगतेंगे, खासकर इसलिए क्योंकि इसमें स्वर्गीय मुख्यमंत्री का जीवन जुड़ा हुआ था। अत: जाँच का आदेश दिया जाएगा।"

आयोग ने कहा कि "अपोलो अस्पताल के चेयरमैन डॉ. प्रताप सी. रेड्डी अपने कर्त्तव्यों से बंधे थे और अपनी पूरी समझ से वास्तविक तथ्य बताने को अधिकृत थे, लेकिन उन्होंने सच नहीं बोला। उन्होंने एक पत्रकार सम्मेलन में यह ग़लत बयान दिया कि जयललिता को अस्पताल से कभी भी डिस्चार्ज किया जा सकता है।" आयोग ने यह भी दावा किया कि डॉ. रेड्डी स्वर्गीय मुख्यमंत्री के हृदय रोग और उन्हें दिए जा रहे उपचार के बारे में अक्सर वास्तविक तथ्य बताए बिना बीफ्रीग्स जारी किया करते थे। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस मामले की छानबीन को लेकर क्या निर्णय लेती है।"

मजेदार बात यह है कि अरूमुगा स्वामी आयोग की मैडिकल रिपोर्ट्स में सहायता के लिए गठित ऐम्स के मैडिकल पैनल ने पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिनमें जयललिता को दिए गए उपचार को लेकर अपोलो हॉस्पिटल को क्लीन चिट दी गई थी। ऐमस पैनल ने अस्पताल के फायनल डायग्नॉसिस से भी सहमति जतायी थी।

श्रीलंका के शेहान करुणातिलका को उनके उपन्यास "द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा" के लिए इस वर्ष का बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखक की इस उपलब्धि से भीषण आर्थिक मंदी से जूझ रहे इस देश में सकारात्मक और उत्साहवर्धक मौहाल बन गया है। करुणातिलका को, अंग्रेजी भाषा के साहित्यिक पुरस्कार के साथ, क्वीन कंसोर्ट कैमिला से ट्रोफी सहित 50,000 पाउंड का पुरस्कार भी मिला है। श्रीलंका में 1990 के दौरान चल रहे गृहयुद्ध की पृष्ठभूमि वाला यह उपन्यास समलैंगिक युद्ध फोटोग्राफर और जुआरी माली अल्मेडा के बारे में है। करुणातिलका ने पुरस्कार स्वीकार करते हुए कहा, श्रीलंका समझ गया है कि भ्रष्टाचार, नस्ल-विरोधी और क्रोनिज़्म के विचारों ने काम नहीं किया है तथा कभी भी काम नहीं करेगा।

कांग्रेस विधायकों द्वारा दिए गए इस्तीफों पर भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष सी.पी. जोशी को ज्ञापन सौंपकर उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया

डॉ. पूनिया ने कहा, "हमारा ऐतराज यह है कि जब इस्तीफे दे दिए हैं तो राजस्थान में सरकार कौन चला रहा है?"

- उन्होंने यह भी कहा कि, "बहुमत से फैसला करते हैं तो राज्य में सरकार 20 लोग तो चला नहीं रहे ये कहते हैं कि, 102 का बहुमत हमारे पास है तो जब 90-91 विधायकों ने इस्तीफा दिया, तो सरकार अल्पमत में आ ही जाती है।"

जयपुर, 18 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान में राज्य सरकार का समर्थन कर रहे लगभग 91 विधानसभा सदस्यों द्वारा 25.09.2022 को विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए सामूहिक त्यागपत्र के उपरान्त भी संवैधानिक पद पर बने रहने के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, सचेतक जोगेश्वर गर्ग सहित भाजपा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) डॉ. सी.पी. जोशी से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और उनसे उचित निर्णय लेने का अनुरोध किया।

बाद में सतीश पूनिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, 2018 में कांग्रेस के बिखराव की शुरुआत जो राजभवन से हुई थी की परिणिति राजद्रोह के मुकदमों, पीसीसी चीफ एवं डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बर्खास्तगी और बाड़ाबंदी के रूप में हुई, उसकी परिणति चिट्ठी पत्री में, सदन में विरोध और विकार में हुई।

अंतत: एक ऐसा अवसर आया जब लगभग 90-91 सदस्यों ने स्पीकर के घर पर आकर पूरे नियोजित तरीके से इस्तीफे दिए, कहा तो यह गया कि तात्कालिक फैसला था पर यह टैंट वाला कहां से आया, क्या हलवाई घर में रखते हैं शांति धारीवाल, क्या स्पीकर महोदय ने जलेबियां पहले बनवा रखी थीं, इसका मतलब यह पूरा एक किस्म का सियासी मामला था।

तय यह करना है कांग्रेस को कि यह सियासी पाखंड था, यदि नहीं इस्तीफे सच्चे थे तो इसके लिए हम लोग स्पीकर के पास आए हैं स्पीकर महोदय को पूरा अवसर मिले, उन्होंने कहा था कि यह संवैधानिक मसला है, इसके लिए दूसरे प्रदेशों की मिसाल, देश की मिसाल का अध्ययन करना है तो 2 हफ्ते का उन्हें पर्याप्त समय मिला था और जब यह समय हो गया तब हमने उनके दरवाजे पर गुहार लगाई है की राजस्थान में यह पता लगे कि सरकार कौन चला रहा है?

क्योंकि वह बंगला सरकारी लिए हुए हैं, सरकारी खाट तोड़ रहे हैं, गाड़ी सरकारी तोड़ रहे हैं, रोटियां सरकारी तोड़ रहे हैं, कलम सरकारी चला रहे हैं, तबादले सरकारी कर रहे हैं तो हमारा ऐतराज यह है कि जब इस्तीफा दे दिए तो सरकार कौन चला रहा है?

राजस्थान की जनता यह जानना चाहती है कि क्या राजस्थान में संवैधानिक मशीनरी का फेलियर हुआ है, अब स्पीकर साहब को यह तय करना है कि उस पर वह क्या निर्णय लेते हैं, उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए संवैधानिक प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए, हमने निवेदन किया कि आप इस कुर्सी पर विराजे हो लोकतंत्र की यह सर्वोच्च कुर्सी है, जो सदन के सदस्यों के प्रति यह अधिकार देती है और इस लिहाज से राजस्थान की जनता उत्सुक भी है और जनता को भरोसा है कि आप कांग्रेस के इस पाखंड पर योग्य निर्णय लेंगे, यह बात ठीक है कि डिक्टेट नहीं कर सकते, हमने तो उनसे संवैधानिक अधिकारों की बात की, हमने उनसे निवेदन, आग्रह और गुहार लगाई है देखते हैं उनका निर्णय क्या होता है।

राज्य सरकार अल्पमत में दिख रही है और सरकार बंटी हुई है, यदि आप बहुमत से फैसला करते हैं तो सरकार 20 लोग तो चला नहीं रहे, उन्होंने कहा कि 102 का बहुमत हमारे पास है तो जैसे कहा जाता है कि 90-91 लोगों ने इस्तीफा दिया है, इतनी बड़ी संख्या में इस्तीफों के बाद सरकार अल्पमत में आ ही जाती है।

सरिस्का अभ्यारण्य के दस कि.मी. दायरे में खनन की मंजूरी, हाई कोर्ट ने जवाब मांगा

- नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमति लिए बिना वाणिज्यिक खनन की मंजूरी देने से जुड़े मामले में राज्य के खान व पैट्रोलियम सचिव, प्रमुख पर्यावरण सचिव, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव व चीफ वाइल्ड लाइफ वॉर्डन से हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

जयपुर, 18 अक्टूबर (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरिस्का अभ्यारण्य के दस किलोमीटर के दायरे में नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमति लिए बिना वाणिज्यिक खनन की मंजूरी देने से संबंधित जुडे मामले में राज्य के खान व पैट्रोलियम सचिव, प्रमुख पर्यावरण सचिव, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव व चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से जवाब मांगा। जस्टिस एम.एम. श्रीवास्तव व जस्टिस वी.के. भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश रामस्वरूप जांगिड की जनहित याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने 25 अगस्त व 9 सितंबर को आदेश जारी कर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव को निर्देश दिया था कि वे राष्ट्रीय अभ्यारण्य के दस किमी के दायरे में नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ पृथक से स्वीकृति लिए बिना ही खानों के संचालन यानि सीटीओ के नवीनीकरण की कार्रवाई करें। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने गोवा फाउंडेशन बनाम केन्द्र सरकार के मामले में कहा है कि राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य के दस किमी के दायरे में माइनिंग करने के लिए नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमति लेना जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा बिना नैशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफ से अनुमति लिए अभ्यारण्य क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन कार्य की मंजूरी देना गलत व सुप्रीम कोर्ट आदेशों का उल्लंघन है। इसलिए बिना यहां खान संचालन करने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है।

त्रिमूर्ति सर्किल से स्मॉल इंडियन सिवैट को रैस्क्यू किया

- जयपुर ज़ू व रक्षा जयपुर संस्था ने बिल्ली जैसे जानवर सिवैट को रैस्क्यू किया।

जयपुर, 18 अक्टूबर (का.सं.)। आज जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल स्टिथ होटल ग्रैण्ड उनियारा होटल से बिल्ली जैसे एक जंगली जानवर के होने की सूचना मिलने पर, संस्था " रक्षा जयपुर" व चिड़ियाघर के रेस्क्यू रेंजर राशिद खान मौके पर पहुंचे और पाया कि वह एक स्मॉल इंडियन सिवैट है। थोड़ी मशक्कत के बाद टीम ने रेस्क्यू कर सिवैट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

रक्षा जयपुर के संस्थापक रोहित गंगवाल ने बताया कि, रक्षा ने स्मॉल इंडियन सिवैट पहली बार रेस्क्यू किया है। गौर की बात यह है कि, आमतौर पर यह सिवैट जंगल में ही मिलती है और जंगल के निकट रिहायशी कॉलोनीयों मैं बहुत कम दिखाई देती है। पर जयपुर शहर के बीचोंबीच इसका नज़र आना आश्चर्यजनक है।

जयपुर में ज्यादातर कॉल्स कॉमन सिवैट के ही आते हैं जो सिवैट की दूसरी प्रजाति है।

झालाना अमागढ़ जंगल रिजर्व के रेंजर जनेश्वर चौधरी की टीम के नेतृत्व में आज शाम सिवैट को अमागढ़ में रिलीज़ किया गया।

चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बने रहने के लिए इसे खत्म करने जा रहे है।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह एक मात्र विरोध प्रदर्शन राष्ट्रीय आंदोलन बन सकता है। उनका कहना है कि एक चिन्गारी आग भड़का सकती है। जाने माने न्यूज चैनल ब्लूमबर्ग पर शी के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन करने की खबर मिली है।

बड़े पैमाने पर लॉकडाउन होने से बहुत सारे लोग भोजन व आवाश्यक वस्तुओं की कमी के संकट से जूझ रहे है। कई क्षेत्रों में तो लोगों को अपने परिवार के लिए खाना लेने भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है।

चीन की सरकार व सरकार नियंत्रित मीडिया कह रहा है कि शी की ज़ीरो को कोविड नीति से लोगों की जानें बची हैं, जबकि असलियत में इसकी वजह से लोग देश से बाहर जाना तो दूर देश में भी कहीं नहीं जा पा रहे है।

इन प्रतिबंधों से चीन की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है। चीन का आर्थिक विकास व ग्रोथ रेट घट गई है। उद्योग भी बंद हैं। इससे रोजगार का भी भारी संकट खड़ा हो गया है। आर्थिक स्थिति ऐसी उलट स्थिति में आ गई है कि कुछ उद्योग तो बंद ही हो गये हैं।

आवासन के क्षेत्र में ऐसा सबसे ज्यादा हुआ है। बड़ी-बड़ी गृह-निर्माण कंपनियों ने निर्माणाधीन फ्लैटों तथा अपार्टमेन्ट्स पर पैसा ले रखा है लेकिन ये कम्पनियाँ निर्मित घर देने में असफल रही हैं। जिन लोगों ने अपने अपार्टमेन्ट्स का भुगतान करने के लिये कर्ज लिया था, उन्होंने अपने कर्ज चुकाने से इंकार कर दिया है तथा इसके फलस्परूप बैंकों का पैसा नहीं लौट रहा है और बैंक बंद हो रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की इस स्थिति के फलस्वरूप, एक तरफ तो असंतोष फैल रहा है, दूसरी आय कम होती जा रही है। लेकिन सरकार इस असंतोष का जिक्र होने पर ही आक्रामक मुद्रा में आ जाती है।

पूरे प्रशासन तथा विरोध के निष्ठुर उत्पीड़न पर सरकार की दमनकारी पकड़ के चलते, ज्यादा कुछ नहीं हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी, जिस तरह से शी पूरे राष्ट्र पर अपने विचारों और सत्ता को थोपने की कोशिश जिस तरह से कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है लेकिन वह दबा हुआ है।

केदारनाथ के पास हैलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त

पायलट सहित सात जनों की मौत

केदारनाथ/देहरादून, 18 अक्टूबर। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में भगवान शिव के पांचवें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के दर्शन उपरान्त छह तीर्थ यात्रियों को वापस लाते समय एक हैलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें पायलट सहित हैलीकॉप्टर में सवार सभी सात लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक गुजरात और तमिलनाडु के निवासी थे। सभी शव बरामद किए जाने के बाद भी राहत कार्य जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैलिकॉप्टर दुर्घटना में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। राज्य के अपर सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागरिक उड्डयन, सी. रविशंकर ने देहरादून में संवाददाताओं को बताया कि, मंगलवार को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहे आर्यन एविएशन हैलिकॉप्टर कंपनी के हैलिकॉप्टर की दुर्घटना में पायलट सहित सात लोगों की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। दुर्घटना मंगलवार को प्रात: लगभग 11:40 बजे हुई। मृतकों में पायलट कैप्टन अनिल (मुंबई निवासी) सहित कुल 7 यात्री थे। उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना ग्राम देव दर्शनी, तहसील गरुड़ चट्टी में हुई। रविशंकर ने बताया कि 11:45 बजे कॉलर सोनू बिष्ट ने आपातकालीन परिचालन केन्द्र, रुद्रप्रयाग को अवगत कराया कि स्थान देव दर्शनी (गरुड़ चट्टी) के समीप एक हैलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है।

ईरानी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

10 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी करके, "जनहित" में किसी अन्य व्यक्ति या साझेदारी फर्म को एक्साइज लाइसेंस ट्रांसफर करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। किन्तु रॉड्रिग्ज़ का आरोप है कि इस अधिसूचना का उद्देश्य स्मृति ईरानी के द्वारा किये गये खुले गैरकानूनी कृत्यों तथा फर्जीवाड़े को कपटपूर्ण तरीके से संरक्षण प्रदान करना है। वे कहते हैं कि परिवर्तित नियम "गोवा एक्साइज ड्यूटी एक्ट, 1964 के विपरीत/प्रतिकूल हैं क्योंकि इस अधिनियम की धारा कहती है कि इस प्रकार जारी किया लाइसेंस शुद्ध रूप से व्यक्तिगत तथा अहस्तान्तरणीय (नॉन-ट्रांसफरेबल) है तथा इस प्रकार, यह अधिसूचना मूल अधिनियम की अवहेलना नहीं कर सकती।

समान...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

से संबंधित सभी जनहित याचिकाओं को पी.आई.एल., "असम्पोषीणीय" (नॉन मेन्टेनबल) मानते हुये, खारिज कर दिया जाए।

दिल्ली के भाजपा नेता, वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई एक पी.आई.एल. के जवाब में, केन्द्र सरकार ने कहा कि विधायिका (संसद) को कोई खास कानून बनाने के लिये परमादेश (रिट ऑफ मैन्डमस) जारी नहीं किया जा सकता। इस याचिका में शादी, तलाक, भरण-पोषण तथा निर्वाह-भत्ता को नियंत्रित करने वाले पर्सनल लॉज़ में एकरूपता की माँग की गई थी।

मंत्रालय ने दृढ़तापूर्वक कहा कि अदालत इस मामले में कोई निर्देश जारी नहीं कर सकती, क्योंकि इस मामले का संबंध नीति से है, जिसके बारे में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही विचार कर सकते हैं। इस प्रकार का कानून बनाना या न बनाना विधायिका के कार्य क्षेत्र में है।

पी.यू.सी.एल...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आजीवन कारावास ही अधिकतम सजा है। सत्र न्यायालय की इस टिप्पणी की बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ी आलोचना की थी। उसने कहा था कि "हम सुविज्ञ सैशन जज की अनुचित टिप्पणियों का अनुमोदन नहीं करते क्योंकि इनमें पक्षपातरीन उद्देश्य की कमी का फैसला देने का गैर इरादतन परिणाम रहा होगा।"

उसने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में संवैधानिक कोर्ट, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणियों की अनदेखी कर उसी निचली अदालत के निर्णय का हवाला देता है। बॉम्बे हाई कोर्ट के अनुसार सत्र न्यायालय के निर्णय में पक्षपातहीनता की कमी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सत्र न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके एक ऐसे फैसले से सहमति प्रकट की जो कि प्रथम दृष्टया ही पूर्वाग्रह से ग्रसित था और जिसमें न्याय नहीं था तथा जिसमें न्याय की निष्पक्षता के विचार की कमी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के तर्कों की अवहेलना कर राज्य के इस तर्क पर अपनी सहमति प्रकट कर दी कि जो लोग "अर्बन नक्सल्स" हैं, वे कानून की सुरक्षात्मक प्रक्रिया का लाभ लेने के अधिकारी नहीं है। पी.यू.सी.एल. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करके सभी लोगों के लिए भय और पक्षपात रहित "समान कानूनी संरक्षण" सुनिश्चित करने को ताक पर रख दिया।

उसने आगे यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया कि साईबाबा शारीरिक रूप से 90 प्रतिशत अक्षम है और वह नागपुर सैन्टल जेल की अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं से पीड़ित रहे। वह करीब आठ वर्ष जेल में बिता चुके हैं और अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते। कैदियों के स्वास्थ्य संरक्षण के अधिकार के संदर्भ में इस अनदेखी के त्रासद परिणाम हो सकते हैं, जैसा कि इस केस के एक दोषी पाण्डु नारोटे की मौत के रूप में देखा गया है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2009/28296 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600